फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में दो वि.वि. के मालिक सहित तीन गिरफ्तार

ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेन्द्र सिंह की गर्लफ्रेंड सरिता कड़वासरा को भी रोहतक से गिरफ्तार किया है

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में शुक्रवार को ओपीजेएस विश्वविद्यालय, सनराईज विश्वविद्यालय अलवर, एमके विश्वविद्यालय पाटन गुजरात के मालिकों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक आरोपी की गर्लफ्रेंड को भी रोहतक से हिरासत में लिया है। पूछताछ में सामने आया है कि इन संचालकों ने सभी रिकॉर्ड जला दिए हैं। फिलहाल एसओजी की टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने के साथ मामले में जुड़े अन्य लोगों को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस एवं एसओजी वी के सिंह ने बताया कि फर्जी डिग्री जारी करने वाली ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेन्द्र सिंह (55) पुत्र ओमप्रकाश दलाल निवासी रोहतक हरियाणा और सनराइज एंड एमके यूनिवर्सिटी के संचालक जितेन्द्र यादव (38) पुत्र जिले सिंह निवासी नारनौल, हरियाणा को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेन्द्र सिंह की गर्लफ्रेंड सरिता कड़वासरा (50) पुत्री धर्मवीर सिंह को भी रोहतक से गिरफ्तार किया है।

दोनों आरोपियों को एसओजी की ओर से जांच के दौरान चूरू के राजगढ़ में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी बुलाया गया था। जांच के बाद फर्जीवाड़े का पता चलने पर आरोपियों को पूछताछ के लिए जयपुर लाया गया। पूछताछ पूरी होने पर शुक्रवार सुबह दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया।

परिस देशमुख ने बताया कि एसओजी को चूरू के राजगढ़ स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के खिलाफ फर्जी डिग्री जारी करने की काफी शिकायतें मिली थी। जांच में सामने आया है कि साल 2013 में ओपीजेएस यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। सरिता कड़वासरा साल 2013 से 2015 तक इस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार के पद पर रही है।

स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने फर्जी डिग्री और खेल प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में शुक्रवार को ओ.पी.जे.एस. विश्वविद्यालय, सनराईज विश्वविद्यालय अलवर, एमके विश्वविद्यालय पाटन गुजरात के मालिकों को गिरफ्तार किया है।

- **ओ.पी.जे.एस. यूनिवर्सिटी के संचालक जोगेन्द्र सिंह और सनराइज एंड एम.के. यूनिवर्सिटी के संचालक जितेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया।**
- **पूछताछ में सामने आया है कि इन संचालकों ने सभी रिकॉर्ड जला दिए हैं।**
- **जांच में सामने आया है कि दलालों के जरिए फर्जी डिग्री बांटने का खेल चल रहा था। बिना मान्यता के भी यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्री जारी की गई।**

इसके बाद 2017 से 2020 तक वह चेयरपर्सन रही थी। डीआईजी ने बताया कि 2015 से 2020 तक जितेंद्र यादव सनराइज एंड एमके यूनिवर्सिटी का संचालक बनने से पहले ओपीजेएस विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर रहा। इस दौरान विश्वविद्यालय की ओर से हजारों की संख्या में फर्जी डिग्री जारी की गई।

देशमुख ने बताया कि साल-2020 में आरोपी जितेंद्र यादव ने ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की पार्टनरशिप छोड़ दी। उसके बाद उसने अलवर में खुद की सनराइज यूनिवर्सिटी खोल ली। कुछ समय बाद ही एमके यूनिवर्सिटी गुजरात के पाटन में खोली। इसके बाद बूंदी में एक नई जीत यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी चल रही थी। मान्यता अभी सरकार से नहीं मिली थी। वहीं, आरोपी जोगेन्द्र सिंह शाहबाद (बारां) में वैदिक विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी में था। इसका कैम्पस बनकर तैयार हो गया है।

पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि 2015 से 2020 की डिग्री का रिकॉर्ड जलने के कारण खत्म हो गया है। जांच में सामने आया है कि दलालों के जरिए फर्जी डिग्री बांटने का खेल चल रहा था। बिना मान्यता के भी यूनिवर्सिटी की ओर से फर्जी सर्टिफिकेट और डिग्री जारी की गई।

परिस देशमुख ने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी यूनिवर्सिटी संचालकों की ओर से एडिमशन में भी फर्जीवाड़े किए। बेक डेट में एडमिशन दिए गए हैं। दलालों के साथ मिलकर फर्जी खेल प्रमाण-पत्र जारी करने का बिजनेस किया गया। गलत तरीके से गेम खिलाकर फर्जी खेल प्रमाण-पत्र देकर एडमिशन दिए गए। इन्होंने अपनी जालसाजी छिपाने के लिए 2016 से 2020 तक का रिकॉर्ड जला दिया है।

उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में टीचर्स के बारे में रिकॉर्ड देखने पर भी फर्जीवाड़ा सामने आया। विश्वविद्यालय में 27-28 लोगों का सैलेरी अकांउट है। इनमें से 8-10 नॉन टीचर स्टाफ हैं। यहां चलने वाले कोर्स की संख्या 18 है। इन्हें करवाने के लिए यूनिवर्सिटी के पास 27-28 लोग ही हैं। ये भी बड़ा फजीवाड़ा है। यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ फर्जी डिग्री बांटने का था। आरोपी जोगेन्द्र सिंह के खिलाफ पूर्व में दो केस दर्ज हैं। इसमें गिरफ्तार भी हो चुका है।

देशमुख ने बताया कि राजस्थान के विभिन्न डिपार्टमेंट में फर्जी डिग्री दिखाकर लोग जॉब कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को इस संबंध में अवगत करवाया गया है। विभाग की ओर से दोबारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच में सामने आया है कि विश्वविद्यालय की ओर से सबसे ज्यादा फर्जी डिग्री नॉर्थ इंडिया में बांटी गई है।

यूनिवर्सिटी की ओर से सौदा तय होने पर एडमिशन दिखाकर फर्जी डिग्री बांटी गई। फर्जी डिग्री देने के दौरान स्टूडेंट्स से 50-60 प्रतिशत ज्यादा रकम की डिमांड की जाती थी। स्टूडेंट्स सौदे की रकम देने की जिद करते थे, तो उन्हें डिग्री दे दी जाती थी, लेकिन सरकारी जॉब के लिए विभाग की ओर से जब डिग्री का वेरिफिकेशन किया जाता था तो विभाग को मना कर दिया जाता था। परेशान होकर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से दोबारा कॉन्टैक्ट करते थे और इसके बाद यूनिवर्सिटी उनसे ज्यादा पैसा वसूलती थी। रुपए देने पर दोबारा विभाग को विश्वविद्यालय की तरफ से गलती से रिपोर्ट भेजने का जबाव देकर वेरिफिकेशन करवा दिया जाता था।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर से मुलाकात की। शुक्रवार को नजीर के अजमेर पहुंचने पर देवनानी ने सर्किट हाउस में उनका पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया। देवनानी की नजीर से यह शिष्टाचार भेंट थी।

मोहन लाल लाठर मुख्य सूचना आयुक्त बने

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में मोहन लाल लाठर को नियुक्ति प्रदान की है। राज्यपाल ने इसके साथ ही सुरेश चंद गुप्ता, महेंद्र कुमार पारख और टीकाराम शर्मा को सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं। राज्यपाल मिश्र ने राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त पदों के अंतर्गत इनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से 3 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो के लिए की है।

पोस्टर का विमोचन

जयपुर। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत 8 अगस्त को आयोजित होने वाले अमृत पर्यावरण महोत्सव के जन जागरण पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री कार्यालय में पोस्टर का विमोचन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने किया।

आम सूचना सर्वजन को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण श्री रमेश चन्द शर्मा एवं श्रीमती चंचल शर्मा पत्नी श्री रमेश चन्द शर्मा निवासीगण 11 चित्रकूट नगर एयरपोर्ट रोड जगतपुरा का पुत्र सचिन शर्मा एवं पुत्र वधु श्रीमती रश्मि जो कि मेरे अभिभाष्यगण से अलग रहते हैं तथा सेवा सुश्रुषा भी नहीं कर रहे हैं। उनके समस्त स्त्रीधन सामान भी उनके पास ही हैं। उक्त दोनों पुत्र एवं पुत्र वधु को मेरे अभिभाष्यगण ने अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति के अधिकारों से वंचित कर दिया है तथा सूचित करते है कि उनके द्वारा किये गये कृत्यों के लिये वह स्वयं जिम्मेदार होंगे। सूचित रहे।
जयपुर (मुकेश कुमार पाठक) एडवोकेट
दिनांक-05.07.2024 मो. 9414057353

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:2761 **जाहिर आम-सूचना** दि.:05.07.2024
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास/फ्लैट संख्या EWS/KA/2/1 (GF), (एरिया 21.092 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री हफीज मोहम्मद पुत्र स्व. श्री गुलाम नबी को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2686 दिनांक 08.02.2013 को जारी किया गया। श्री हफीज मोहम्मद की मृत्यु दिनांक 30.04.2022 को हो जाने के कारण इनकी पत्नी श्रीमती आशिया खान पत्नी स्व. श्री हफीज मोहम्मद द्वारा उक्त आवास/ फ्लैट को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/ फ्लैट के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती आशिया खान पत्नी स्व. श्री हफीज मोहम्मद का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा अभिभाष्य कृष्ण कुमार पुत्र चन्दगीराम गुर्जर निवासी 475 सुमेर नगर अग्रवाल फार्म, मानसरोवर जयपुर ने स्व. राजेश सैनी पुत्र मालीराम सैनी निवासी चन्द्र शेखर कॉलोनी, आजाद कॉलोनी, ब्रह्मपुरी जयपुर के विधिक वारिसान संतोष सैनी, चंचल सैनी, यश सैनी से भूखण्ड संख्या 03-बी (डी) कुल क्षेत्रफल 500.00 वर्गगज एवं राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री कैलाश चन्द्र शर्मा निवासी प्लाट नं. 3 पोस्ट आफिस के पास, फुटल्या बाग, अजमेर रोड सोडाला जयपुर से भूखण्ड संख्या 009ए, कुल क्षेत्रफल 189.33 वर्गगज स्थित नारायण विहार-वाई ब्लॉक, फेज-01 सैक्टर 52 ग्राम जयसिंहपुरा बास भांकरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर को क्रय करने का इकरार किया है अगर किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के अन्दर पेश कर सूचित करें अन्यथा इसके बाद कोई एतराज मान्य नहीं होगा।
रामजीलाल चौधरी, एडवोकेट, मो. 9829074741

प्रपत्र 7 नियम 21
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
(नाम, वर्णन तथा निवास स्थान)
मुकदमा नम्बर 233/2024
चूंकि श्री अभिनव सिंह पुत्र श्री भीम सिंह निवासी हाउस नं. 1. जगदम्बा कॉलोनी गांधी पथ, नियर ग्लोबल हार्ट हॉस्पिटल, वैशाली नगर जयपुर 302021 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत कुंवर भीम सिंह चेरिटेबल ट्रस्ट प्रन्यास पता 1 व 2 जगदम्बा कॉलोनी अपोजिट राजुल अगस्ता नील पदम सरोवर मार्ग, वैशाली नगर जयपुर राज 302021 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है। अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए. यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नही की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।आज दिनांक 2/7/24 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख 05.09.2024
मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम), देवस्थान विभाग, जयपुर

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम गिरिश कुमार से बदलकर गिरिश कुमार पंजवानी पुत्र श्री विष्णु कुमार रख लिया है। भविष्य में मुझे गिरिश कुमार पंजवानी के नाम से जाना जावें। निवासी 11/340 मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान-302017

मैंने मेरे पुत्र का नाम दीप्ती कुमार से बदलकर देव अमावर रख दिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को देव अमावर के नाम से जाना पहचाना जावें। हेमलता, निवासी प्लाट नं. 53 जनता नगर, रांकडी सोडाला जयपुर

हमने अपनी पुत्री का नाम प्रियांगी पुत्री वीरेन्द्र बेनीवाल और वन्दना बेनीवाल से बदलकर प्रियांगी बेनीवाल कर लिया है। भविष्य में इसे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पता-एफ-7ए, मधुवन कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर

मैंने अपना नाम गुनगुन से बदलकर अनन्या निगम पुत्री श्री नवीन निगम कर लिया है भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना जावें। पता 171, बरकत नगर, टोंक फाटक, जयपुर

हमने अपने पुत्र का नाम प्रणव पुत्र वीरेन्द्र बेनीवाल और वन्दना बेनीवाल से बदलकर प्रणव बेनीवाल कर लिया है। भविष्य में इसे इसी नाम से जाना पहचाना जावें। पता-एफ-7ए, मधुवन कॉलोनी, टोंक रोड, जयपुर

मेरा आर्मी सर्विस नं. 15674607-एल, है मैंने अपना नाम रघुवीरसिंह पृथ्वीसिंह (Raghuvirsingh Prathvisingh से बदलकर रघुवीर सिंह रख लिया है। भविष्य मे मुझे रघुवीर सिंह (Raghuvir Singh) के नाम से जाना जाए। निवासी डी-44, वीर हनुमान नगर कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर-302012 शपथ पत्र दिनांक 04.07.2024 जयपुर

मेरा नाम सुनीता कुमारी बडगुजर है पूर्व में कई जगह मेरा नाम सिन्हा देवी उर्फ सुनीता देवी है अब मैं सही नाम सुनीता कुमारी बडगुजर दर्ज करवाना चाहती हूँ भविष्य में मुझे सुनीता कुमारी बडगुजर के नाम से जाना पहचाना जावे। निवासी-ग्राम बरवाडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर, राजस्थान

I have changed my name from Rupa Kumar Khemka to Rupa Kejriwal W/o Vikas Kumar Kejriwal R/o Plot No. A-8 Girdhar Colony, Sikar Road, Jaipur.For all purpose

I have changed my name Shakti Kumar Singh to Shakti Singh for all purpose in future. R/o SD-131 Shanti Nagar Khatipura Road Jaipur-302006

I have changed my Name from Saroj Mosun to Saroj Devi Mosun Therefore I will be known or distinguished in Public by New Name of Saroj Devi Mosun, 133 Tikkadmal Ka Rasta, Kishnpole Bazar, Brahmpuri, Jaipur.

I have change my name from pradeep kumar to Pradeep Kumar Goyal S/o Shri Nand Kishor R/o 47/96, G-1, Usha enclave, Kiran Path, Mansarovar, Jaipur. In future I know and recognised by my new name.

I Savita Hanmant Jadhav W/o JC 779019K Nb Sub Jadhav Hanmant Namdev R/o Posewadi, Tal-Khanapur, Dist-Sangli State-Maharashtra 415307. My name as Savita H Jadhav is wrongly entered in my husband's service record. My correct name is Savita Hanmant Jadhav.

I have changed my name from suresh chand sawhney to Suresh chand Sahney for all future purposes. Suresh chand Sahney S/o Prem Prakash sawhney R/o 5/361 SFS Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur-302020

डॉ. किरोड़ी को मनाने के प्रयास होंगे!

डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थन में आए कई मंत्री

जयपुर। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे को लेकर भाजपा में सियासी हलचल मची हुई है। पूर्व मंत्री और दौसा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से डॉ मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने की मांग की है। वहीं राज्य सरकार के मंत्री भी किरोड़ी की मुख्यमंत्री तथा संगठन से नाराजगी नहीं होने का हवाला देकर उनके राज्य और जनहित में काम करने की बात कही है। वहीं डॉ मीणा ने नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकत की। राज्य के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा के मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद भाजपा और राज्य सरकार में उथल पुथल मची हुई है। इस्तीफे के बाद होने वाले डेमेज को लेकर भी संगठन और सत्ता दोनों ही विचार विमर्श कर रहे हैं, यही कारण है कि डेमेज कंट्रोल को लेकर कवायद भी शुरू हो चुकी है। डॉ किरोडी लाल को समझाने के प्रयास शुरू किए जा रहे हैं। इनमें सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को मिलने दिल्ली बुलाया। मीणा ने दिल्ली में नड्डा के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। हालांकि दोनों के बीच हुई बातचीत की जानकारी नहीं मिल पाई है।

- **दौसा सांसद प्रत्याशी कन्यालाल मीणा ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र बोले, ''मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं करें स्वीकार, आमजन की भावनाओं का करें सम्मान''**

वहीं दौसा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले कन्हैयालाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर डॉ मीणा का इस्तीफा नहीं स्वीकार करने का आग्रह किया है। मीणा ने मुख्यमंत्री से कहा कि डॉ मीणा राजस्थान में जनसंघर्ष के प्रतीक हैं, उनका पूरा जीवन गरीब मजदूर, दलित आदिवासी पिछड़ा युवा सहित सर्व समाज के प्रत्येक पीडित की समस्या निवरण के लिए संघर्ष किया। डॉ मीणा के नेतृत्व में सम्पूर्ण सामर्थ्य से कार्यकर्ताओं ने काम किया। कांग्रेस के संविधान खतरे तथा आरक्षण खत्म होने की भ्रामक प्रचार से हार का सामना करना पड़ा। डॉ मीणा का मंत्री पद से इस्तीफा देना उनकी भावुकता और वचनबद्धता को दर्शाती है। लेकिन ऐसे संघर्षशील व्यक्ति का मंत्री पद पर बने रहना आवश्यक है। कार्यकर्ताओं और जनता के साथ मीणा ने डॉ किरोड़ी का इस्तीफा अस्वीकार करने की मांग की है।

दूसरी ओर डॉक्टर मीणा का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने के समर्थन में कई मंत्री भी उतरे। संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि डॉ मीणा की न मुख्यमंत्री और न ही संगठन से कोई नाराजगी है। मीणा सरकार और संगठन के साथ हैं, सब मिलकर राज्य और जनहित में काम करेंगे। वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि डा किरोडीलाल वरिष्ठ नेता हैं संघर्ष के प्रतीक हैं। अभी इस्तीफा दिया या नहीं यह पता नहीं है। लेकिन वो सरकार और संगठन हित में काम करते रहेंगे। जनहित में के मुद्दों को लेकर काम करते रहेंगे। गृहराज्य मंत्री जवाहर बेढम ने कहा कि मीडिया की खबरें पढ़ी है ऑथेंटिक नहीं है। डॉ मीणा वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान था मुख्यमंत्री सीएम और संगठन से दुराभाव से नहीं हैं। वरिष्ठ परिपक्व नेता मार्गदर्शन पहले भी करते हैं करते रहेंगे।

'प्रदेश भर में एक ही दिन में लगाए एक लाख पौधे'

जयपुर। प्रदेश में जल संरक्षण और हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदाय मंत्री कन्हैया लाल के निर्देशन में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग ने अभिनव पहल करते हुए प्रदेश में एक लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू किया। मंत्री ने जल भवन में पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की और जल भवन में 500 पौधे लगाए गए।

प्रदेश में जल संरक्षण और हरियाली क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से जलदाय मंत्री कन्हैया लाल ने जल भवन में पौधारोपण कर एक लाख पेड़ लगाने की शुरुआत की और जल भवन में 500 पौधे लगाए गए।

अभियान के शुभारंभ पर जलदाय मंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ों को बचाना जरूरी है। जहां पेड़ बचाए जाते हैं वहां प्रकृति सुरक्षित हो जाती है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत हमने प्रदेश भर में जलदाय विभाग के सभी कार्यालयों, संस्थाओं, पंप हाउसों में एक ही दिन में एक लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि अत्यधिक जल दोहन, जल की बढ़ती मांग और भूजल के कम रिचार्ज होने के कारण राजस्थान के कई क्षेत्र डार्क जोन में सम्मिलित हो गए हैं।

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

श्रद्धांजलि
24.10.1918 - 06.07.2000
24वीं पुण्यतिथि
श्रद्धेय स्व. वैध श्री घनश्याम जी शर्मा
निवासी श्रीमाधोपुर (सीकर) की 24वीं पुण्यतिथि 06.07.2024 पर सभी परिवारजन की ओर से
शत् शत् नमन् एवं सादर श्रद्धाजंलि
कैलाश शर्मा (राष्ट्रदूत) एवं उमा शर्मा (से.नि.प्रधानाध्यापिका), नरेन्द्र शर्मा (से.नि.एयरफोर्स) एवं दीपशिखा, सत्यप्रकाश शर्मा (राष्ट्रदूत, जोधपुर) एवं ज्योति शर्मा (से.नि.प्रिंसिपल सी.सै.स्कूल) (पुत्र-पुत्रवधु), बीना एवं नरेन्द्र भारद्वाज (से.नि.भारतीय स्टेट बैंक) (पुत्री-दामाद), प्रशांत एवं प्रिया (पौत्र-पौत्रवधु) एवं समस्त परिवारजन
मोबाइल : 9829264308, 9829360428, 9462694531

प्रपत्र संख्या 7 (देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 231/2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)
चूंकि श्री सोहन सिंह सोलंकी निवासी 45-46 विवेक विहार, जयपुर डेयरी के सामने बजाज नगर, लाल कोठी जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत मंदिर श्री विवेक विहार बालाजी समिति कार्यालय पता जे.एल.एन. मार्ग, दैनिक भास्कर के सामने, जयपुर के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन पत्र दिया है। अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 01.07.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 05.09.2024
मोहर अदालत
आकाश रंजन (आर.ए.एस.)
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-2768 दिनांक-05.07.2024
जाहिर आम-सूचना राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या Q-33 TYPE-D NRI (एरिया 750.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री दिनेश अग्रवाल पुत्र श्री शान्ति लाल अग्रवाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 157 दिनांक 12.05.2009 को जारी किया गया। श्री दिनेश अग्रवाल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 21.05.2009 को उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां पंजीकृत करवाये गये। श्री दिनेश अग्रवाल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 15.09.2010 के द्वारा श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बी.आर. शर्मा को विक्रय कर उप पंजीयक-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री मुकेश कुमार शर्मा के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 10508 दिनांक 28.12.2010 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्री मुकेश कुमार शर्मा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 09.04.2024 के द्वारा श्री निखिल अग्रवाल पुत्र श्री दिलीप अग्रवाल को विक्रय कर उप पंजीयक-जयपुर-प्रथम के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। अत उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री निखिल अग्रवाल पुत्र श्री दिलीप अग्रवाल का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, राज.आवा. मण्डल, जयपुर

खोया पाया
आवास संख्या 113/20 मानसरोवर जयपुर का आवंटन पत्र गिर/गुम हो गया मिलने पर सूचित करें। हेमलता मो. 9929106823
मेरे प्लॉट संख्या 107, 108, 109, 110 श्याम विहार, माली की कोठी, आगरा रोड का पट्टा जो कि किशोर कुमार दायमा पुत्र स्व. सुजाराम दायमा के नाम से है वह पट्टा कहीं गुम हो गया है मिलने पर सूचित करें। किशोर कुमार-9928134533
मेरे प्लाट सं.-47 ए श्याम नगर-सी ग्राम-मथुरावाला तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर के पंजीकृत विक्रय पत्र मूल दस्तावेज व संलग्न दस्तावेज जयपुर में कहीं खो गये है सूचित करें-सुमन जांगिड मो.नं.-8005697803
मेरे प्लाट नं. 138 योजना पेराडाइज जे.डी.ए. से जारी मूल जे.डी.ए. पट्टा, साईट प्लान, स्टाम्प पेपर और 2 विक्रय पत्र जयपुर में खो गये है सूचित करें-मिनाक्षी मीणा मो.नं. 9166304933

आवश्यकता
आवश्यकता है पार्ट टाइम कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की जो हिन्दी में पेजमेकर, क्वार्क और वर्ड में काम कर सकें।
कार्य समयः सांय 8.00 से 12.00
सम्पर्क करें: अमित
मोबाईल नं.: 7905717804
राष्ट्रदूत
चमेली वाला मार्केट, जयपुर

नगर निगम ग्रेटर जयपुर
क्रमांक :- जसअ/2024-25/44 दिनांक: 04.07.2024
निविदा सूचना सं. - 03 से 04/2023-24
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA" "A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (मालवीय नगर जोन) से सम्बन्धित विकास कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण निविदा सूचना संख्या- 03 से 04/2024-25 दिनांक 04.07.2024 से नगर निगम जयपुर ग्रेटर की वेबसाईट www.jaipurmc.org.com व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in से अपलोड की जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का Unique Bid Number (UBN) JMC2425WSOB000227 to JMC2425WSOB000228 है।
अधिशाषी अभियंता (मालवीय नगर जोन) नगर निगम ग्रेटर जयपुर
राज.संवाद/सी/24/1802

श्री कृष्णा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मनोहरपुर, शाहपुरा (जयपुर)
Email Id- skttcollege2017@gmail.com
आवश्यकता
बी.ए.बी.एड., बी.एस.सी.बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु
प्राचार्य-1, शिक्षा के परिपेक्ष-5 (भूगोल, मनोविज्ञान, राजतिविज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास) सहायक आचार्य-भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, हिन्दी, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षक, आर्ट एंड क्राफ्ट, संगीत।
योग्यता एवं वेतानमान- यू.जी.सी.राज.वि.वि.एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार इच्छुक अभ्यथी दिनांक 10.07.2024 तक बायोडेटा, फोटो एवं मूल दस्तावेजों की प्रतिलिपि महाविद्यालय की Email Id-skttcollege2017@gmail.com पर या व्यक्तिगत प्रेषित करें।
सचिव मो.9414623238, 8560000813

कोयला मंत्रालय
भारत सरकार
नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी का कार्यालय
- नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण का कार्यालय, कोयला मंत्रालय विशिष्ट और समयबद्ध नौकरियों के लिए मंत्रालय में खुले बाजार के माध्यम से अनुबंध के आधार पर युवा विश्लेषकों/पेशेवरों को नियुक्त करने का प्रस्ताव करता है। कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए रिक्ति नोटिस में निर्धारित अपेक्षित योग्यता और अनुभव वाले व्यक्तियों को ही युवा विश्लेषकों/पेशेवरों के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
- आवेदन https://starrating.coal.gov.in/yp_na/ लिंक पर प्रकाशित ऑनलाईन प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को ही सूचित किया जाएगा और साक्षात्कार के ल